न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
177 / 2021	04.10.2021	29.8.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– बुन्दु खॉं आत्मज काले खॉं जाति मुसलमान निवासी डाबर हाल सुल्तानुपर तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– उस्मान खॉं आत्मज काले खॉं जाति मुसलमान
2– इकराम खॉं आत्मज काले खॉं जाति मुसलमान
3– छुट्न खॉं आत्मज काले खॉं जाति मुसलमान
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री कौशल कुमार [redacted] एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा एवं घोषणा</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 343 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 2.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 1.90 हेक्टर , खसरा नम्बर 476 रकबा 2.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 9 रकबा 10.04 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी[illegible] खाते[illegible] स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने [illegible] बंटवारा करते हुए सभी को अपअने हिस्से की भूमि जौत हेतु दे दी थी, वादी अपने हिस्से 1/4 ख0नं0 372 रकबा 2.04 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 706 रकबा 0.15 हेक्टर व शेष 0.32 हेक्टर अन्य खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested

पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 अपने 1/4 हिस्से की शेष आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, बैचान , अन्तरण करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि वादी नें प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर मौके अनुसार बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बैचान करनें की धमकी दी।

यह कि वाद कारण दिनांक 18.06.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि में मौके अनुसार बंटवारा करानें की कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि प्रतिवादी नं0 4 स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है, वादी के पास धारा 80 सी पी सी का नोटिस देने का समय नहीं होने से यह वाद 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 343 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 2.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 1.90 हेक्टर , खसरा नम्बर 476 रकबा 2.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.15 हेक्टर कुल किता 9 रकबा 10.04 हेक्टर भूमि में काबिज अनुसार वादी की खसरा नम्बर 372 रकबा 2.04 हेक्टर, खसरा 706 रकबा 0.15 हेक्टर व वादी के शेष 0.32 हेक्टर अन्य खसरा में व शेष 0.32 हेक्टर अन्य खसरा में व शेष भूमि पर प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम किया जावे।

(2) कि प्रतिवादी नं0 4 को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें।

(3) अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी खाता सं0 116 ग्राम डाबर तहसील दीगोद

2– नकल वादी व प्रतिवादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियां

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा अनुसार वाद [illegible] किये जाने का प्रार्थना पत्र मय राजीनामा निम्न रूपेण पेश किया गया:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested

1– यह कि उक्त उनवान का एक प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आप तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हे जो निम्न प्रकार हैः–

(1) वादी बुन्दु खॉ पुत्र काले खॉ के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	रकबा	भूमि वर्गीकरण
372	2.04 हेक्टर	नहरी प्रथम
706	0.15 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 2 किता	2.19 हेक्टर	

(2) प्रतिवादी क्रम 1 उस्मान खॉ पुत्र काले खॉ के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	रकबा	भूमि वर्गीकरण
343	0.64 हेक्टर	नहरी प्रथम
651	0.40 हेक्टर	नहरी प्रथम
476	2.30 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 3 किता	3.34 हेक्टर	

(3) प्रतिवादी क्रम 2 इकराम पुत्र काले खॉ के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
505	0.14 हेक्टर	बंजड
375	1.16 हेक्टर	नहरी प्रथम
414	1.90 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 3 किता	3.20 हेक्टर	

(4) प्रतिवादी नं0 3 छुट्टन पुत्र काले खॉ के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
493	1.31 हेक्टर	नहरी प्रथम

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन हे कि वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किये जाने का ओदश पारित किया जावे।

उभय पक्ष में शामलाती भूमियों में राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खाते दर्ज करने में सहमति प्रकट की है।

अतः वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे। वहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से शामलाती भूमि में राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खाते दर्ज कर वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉ[illegible]ी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा [illegible] व मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद [illegible] अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद पत्र उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

राजीनामा निम्न रूपेण प्रस्तुत किया गया है:–

(1) वादी बुन्दु खॅा पुत्र काले खॅा के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
372	2.04 हेक्टर	नहरी प्रथम
706	0.15 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 2 किता	2.19 हेक्टर	

(2) प्रतिवादी क्रम 1 उस्मान खॅा पुत्र काले खॅा के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
343	0.64 हेक्टर	नहरी प्रथम
651	0.40 हेक्टर	नहरी प्रथम
476	2.30 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 3 किता	3.34 हेक्टर	

(3) प्रतिवादी क्रम 2 इकराम पुत्र काले खॅा के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
505	0.14 हेक्टर	बंजड
375	1.16 हेक्टर	नहरी प्रथम
414	1.90 हेक्टर	नहरी प्रथम
योग 3 किता	3.20 हेक्टर	

(4) प्रतिवादी नं0 3 छुट्न पुत्र काले खॅा के हिस्से में माल डाबर की भूमि

खसरा नम्बर	श्रकबा	भूमि वर्गीकरण
493	1.31 हेक्टर	नहरी प्रथम

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.22 को मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद